खण्ड — 3

शिक्षा एवं आधुनिक भारत का सामान्य दृष्टीकोणः भारत का संविधान ईकाई — 1 भारत के संविधान का निर्माण

रूपरेखा

- 1.1 प्रस्तावना
 - 1.1.1 भारतीय संविधान की विशेषता
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 प्रस्तावना की व्याख्या
- 1.4 प्रस्तावना के मुख्य लक्षण
- 1.5 संविधान सभा का निर्माण
- 1.6 भाषा की राजनीति
 - 1.6.1 भाषावार राज्यों के पक्ष में तर्क
 - 1.6.2 भाषावार राज्यों के विपक्ष में तर्क
- 1.7 भारतीय संविधान में शिक्षा
 - 1.7.1 भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित धाराएँ
- 1.8 ईकाई सारांश
- 1.9 अपनी प्रगति की जाँच कीजिए
- 1.10 संदर्भ सूची

1.1 प्रस्तावना

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया।

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व—सम्पन्न, समाजवादी, धर्मिनरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए इन सबसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 ई. को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्म समर्पित करते हैं, भारत के जनतन्त्रात्मक संविधान की प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया —

- प्रजातंत्र
- स्वतंत्रता
- समानता
- न्याय
- भाईचारे
- समाजिक धर्मनिरपेक्षता
- उत्तरदायित्व

गम्भीर चिन्तन और व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् बनाये गए संविधान को 26 जनवरी 1950 को देश भर में लागू किया गया। इसमें संविधान के मूल उद्देश्यों, लक्ष्यों और आदर्शों को स्पष्ट किया गया।

1.1.1 भारतीय संविधान की विशेषता :--

- विशाल संविधान :- विशाल राष्ट्र, विश्व के श्रेष्ठतम संविधान का गहन अध्ययन
- एकात्मक एवं संघात्मक संविधान :— सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यों एवं अधिकारों का विभाजन

- वयस्क मताधिकार व्यवस्था
- धर्मनिरपेक्ष संविधान
- कठोर व लचीला
- स्त्रियों को समान अधिकार
- पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों का संरक्षण
- छुआछूत का अंत
- एक समान न्याय व्यवस्था
- एकाकी नागरिकता
- नगरिकों के मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों की व्याख्या
- एक राष्ट्रभाषा
- अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था
- नीति निर्देशक तत्वों का समावेश

1.2 उद्देश्य

इस ईकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

- भारतीय संविधान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में समझ सकेंगे।
- भारतीय संविधान के लक्षण के बारे में जान सकेंगे।
- संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ जान सकेंगे।
- भाषा की राजनीति को समझ सकेंगे।
- भारतीय संविधान में शिक्षा के बारे में जान सकेंगे।

1.3 प्रस्तावना की व्याख्या

- सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न
- लोकतन्त्रात्मक
- धर्मनिरपेक्ष
- समाजवादी
- गणराज्य
- न्याय

- सामाजिक न्याय
- आर्थिक न्याय
- राजनीतिक न्याय
- स्वतंत्रता
- समता
- व्यक्ति की गरिमा और बन्धुता
- राष्ट्र की एकता और अखण्डता

1.4 प्रस्तावना के मुख्य लक्षण

डॉ. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी के अनुसार ''हमारे संविधान की आत्मा (प्रस्तावना) में मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदयस्पन्दन है, उसकी अन्तरात्मा, न्याय और समता एवं अधिकार और बंधुत्व के आसव से अभिसिंचित है।''

भारत के संविधान को सम्पूर्ण दृष्टि से देखने पर उसकी प्रस्तावना के मुख्य लक्षण एवं विशेषताएं इस प्रकार परिलक्षित होती हैं —

- 1. संविधान जनता का स्त्रोत है भारत के शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है तथा भारत के जनता ने ही संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार "प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है।"
- 2. शासन के उद्देश्यों की घोषणा जब तक भूख के भय से, अज्ञात के अंधकार से, आवास के अभाव से, यातनाओं एवं आतंक से, शोषण के अत्याचार से एवं लाचारी तथा विवशता से इस देश के करोड़ों लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता बेमानी है। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय एवं भ्रातृत्व के मूल सिद्धांतों के आधार पर भारत के संविधान की नींव रखी।
- 3. सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न शब्द का प्रयोग इस बात का प्रतीक है कि भारत के आन्तरिक तथा विदेशी मामलों में भारत की सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है।

- 4. लोकतंत्रात्मक संविधान भारत एक ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें देश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्राप्त होगी तथा समाज में आर्थिक संसाधनों का समतापूर्ण वितरण होगा।
- 5. गणराज्य भारत के गणराज्य में सर्वोच्य शक्ति सार्वभौम मताधिकार से सम्पन्न जन समुदाय में निहित होगी।
- 6. न्याय संविधान के रचनाकार इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता और समानता के साथ-साथ न्याय भी अनिवार्य है।
- 7. स्वतंत्रता संविधान में वर्णित प्रस्तावना में भारत के नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण आश्वासन दिया गया है।
- 8. पंथ स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में निरपेक्ष राज्य को सिद्धांत रूप में मान्यता प्राप्त है। पंथ निरपेक्ष राज्य किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता।
- 9. समता समता से अभिप्राय अपने व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए।
- 10. राष्ट्र की एकता अनुच्छेद 51 (क) के अन्तर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि वे भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्णा रखें।

अपनी प्रगति की जाँच करें दी गई रिक्त स्थान में प्रश्नों के उत्तर लिखिए

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए

- 1. भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
- 2. भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए ?

1.5 संविधान सभा का निर्माण

केबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 ई. में संविधान सभा की रचना के लिए निर्वाचन हुआ। निर्वाचन के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा —

- प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन।
- निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर हुआ।
- निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई, वरन् प्रांतीय विधानमण्डलों को ही संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार दिया गया।

संविधान—सभा के कुल 389 सदस्यों में प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों का ही निर्वाचन कराया। निर्वाचन में कांग्रेस ने 205 स्थान प्राप्त किए; मुस्लिम लीग को 93 स्थान मिले व शेष स्थान अन्य राजनीतिक दलों के पास रह गए।

संविधान सभा में कांग्रेस की अच्छी व सबल स्थिति देखकर मुस्लिम लीग के नेताओं ने संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय किया। उन्होंने पाकिस्तान का पृथक संविधान बनाने की मांग रखी कांग्रेस व ब्रिटिश सरकार ने उन्हें काफी समझाया लेकिन प्रयास विफल रहे।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के ओजस्वी व्यक्तित्व ने विरोधी तत्वों को समाप्त किया व मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने भी भारतीय संबिधान सभा में महत्वपूर्ण कार्य किया। के. एम. मुन्शी ने कहा — "शायद ही जनमत का कोई ऐसा पक्ष हो जिसे संविधान सभा में स्थान प्राप्त न हो"

1.6 भाषा की राजनीति

राजनीति क्षेत्रों में भाषा के प्रश्न का प्रमुख प्रयोग 1920 में हुआ। भाषीय आधार पर ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के पुनर्गठन की माँग 1928 में कांग्रेस के उस दस्तावेज में दोहराई गई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है।

- भारतीय संविधान सभा ने 1950 में हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करते हुए यह
 निश्चित किया था कि 15 वर्षों में अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ले लेगी।
- सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम का रूप ले लेगी।

- जब इस पर अमल किया जाने लगा तो अहिन्दी क्षेत्रों में आन्दोलन होना प्रारम्भ हो गया।
- तब प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्रीजी को आश्वासन देना पड़ा कि अहिन्दी भाषी राज्य तब तक अंग्रेजी का प्रयोग करते रहेंगे जब तक वे हिन्दी को अपनाने के लिए तैयार न हो जायें।
- भाषायी नीति में परिस्थितिवश परिवर्तन किया गया कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य की भाषा में काम करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- राज्य के विद्यालय में पढ़ाई का माध्यम राज्य की भाषा होगी।
- अन्तर्राज्यीय पत्र व्यवहार में सामान्यतः अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा।
- संविधान निर्माण के समय किए गए निर्णय से हटकर यह निश्चय किया गया कि केन्द्र में संसद में अंग्रेजी भाषा में कामकाज चलता रहेगा।
- सरकारी सेवाओं की परीक्षाएँ अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में लिए जाने और हिन्दी का क्रमिक विकास करने का निर्णय लिया गया।
- सरकार के संयमपूर्ण प्रयत्नों और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के प्रयासों के कारण भाषायी आंदोलन की राजनीति धीरे—धीरे समाप्त हुई।

1.6.1 भाषावार राज्यों के पक्ष में तर्क

- 1. भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए तो प्रतिनिधि संस्थाएँ भली प्रकार कार्य करेंगी। जो प्रजातंत्र के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।
- 2. भाषा पर आधारित राज्य में संबंधित भाषा के विकास के लिए अनेक नीतियाँ अपनाई जाती हैं जिनमें राज्य कार्य सुलभ हो जाता है।
- 3. राज्य की भाषा एक होने पर प्रशासन सशक्त एवं कार्यकुशल बनता है।
- 4. भाषा की एकता शिक्षा के प्रचार में सहायक

1.6.2 भाषावार राज्यों के विपक्ष में तर्क

 भाषा के आधार पर छोटे—छोटे राज्यों की रचना होने के कारण क्षेत्रीयता की भावना का विकास होता, इसके कारण राष्ट्रीयता और भावनात्मक एकता खतरे में पड़ जाती है।

- 2. भाषा के आधार पर अनेक राज्यों की स्थापना लेखा परीक्षा आदि की कार्यकुशलता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- 3. जिन राज्यों में दो या दो से अधिक भाषा—भाषी लोग रहते हैं वहाँ भाषा—भाषी राज्य की सीमाएँ नहीं खींच सकते।
- 4. भाषावाद के फलस्वरूप जनता के आवागमन की स्वतंत्रता अवरूद्ध होती है। समस्या का समाधान कहाँ? भाषावाद की समस्या वस्तुतः निहित राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित समस्या अधिक रही है। स्थिर और निश्चित नीतिगत विकास भी धीमी गित से हो रहा है फलतः भाषा विवाद को जब जैसा चाहा वैसा रूप दे बदया गया। लोगों ने यह भुला दिया कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हिन्दी का सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग आवश्यक है।

सारांश में भारत जैसे विविधता वाले देश में भाषा के प्रश्न पर उदारवादी और सिहष्णु दृष्टीकोण अपनाकर ही समस्या का तर्क संगत समाधान निकाला जा सकता है।

अपनी प्रगति की जाँच अभ्यास क्रियाएँ

हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी में निबंध लिखें — प्रकरण — भारतीय संविधान में शिक्षा

1.7 भारतीय संविधान में शिक्षा

शिक्षा मुख्य रूप से 1976 से पहले राज्यों के अधिकार में थी जिससे शिक्षा का विकास उतना नहीं हो पाया अतः शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा ताकि इस क्षेत्र में केन्द्र भी अपनी भूमिका निभा सके।

1.7.1 भारतीय संविधान में शिक्षा से सम्बंधित धाराएँ

- 1. संविधान की धारा 14 कानून में समानता कोई भी राज्य अपने नागरिकों को कानून के अनुसार समानता के नियम से इंकार नहीं कर सकेगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सभी को समान रूप से देखा जाएगा। किसी को भी विद्यालयों में प्रवेश लेने, अध्ययन—अध्यापन करने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु जाति, धर्म, जन्म, स्थान एवं विश्वास तथा लिंग के आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा।
- 2. संविधान की धारा 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म एवं स्थान के अनुसार भेदभाव नहीं करेगा जैसे अपंगता, किसी भी सार्वजनिक स्थानों में जाने से नहीं रोका जाएगा।

धारा 16 — शासकीय सेवा प्राप्त करने में समान अवसर सबको प्राप्त होंगे। इसी धारा के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का समान अवसर राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त होंगे।

धारा 17 — छुआछूत का खात्मा — छुआछूत के आधार पर विद्यालयों में प्रवेश एवं होटल, कुंआ, घाट, मार्ग आदि से रोका नहीं जा सकता।

धारा 24 — बाल मजदूरी पर रोक — 14 वर्ष तक के बालकों को बाल मजदूरी एवं किसी भी फैक्ट्री में मजदूरी हेतु कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकेगा।

धारा 28 — धार्मिक शिक्षा की बाध्यता नहीं — राज्य से सहायता प्राप्त विद्यालयों में किसी धर्म विशेष के संबंध में शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

धारा 29 — अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा — राज्य द्वारा स्थापित अथवा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु प्रवेश देने से इंकार धर्म, जाति, भाषा एवं वर्ग के आधार पर नहीं किया जा सकता।

धारा 30 — अल्पसंख्यकों द्वारा विद्यालयों की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार — धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विद्यालयों को चलाने एवं प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है।

धारा 45 — बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा — 14 वर्ष के होने तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व है।

धारा 46 — पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा।

धारा 343 – देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा होगी।

धारा 350 (अ) हर राज्य तथा हर स्थानीय पदाधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करेगा।

धारा 351 — हिन्दी भाषा को बढ़ावा, उसका विकास, व समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा जिससे भारत की संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने।

धारा ३४५, ३४६, ३४७ – प्रादेशिक शिक्षाओं के विषय में विचार किया गया।

धारा 345 — राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ या प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी के अंगीकार कर सकेगा परंतु जब तक राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी।

धारा 346 — राज्यों एवं राज्यों के संघ से संपर्क भाषा के रूप में मान्य भाषा में से किसी का इस्तेमाल किया जा सकता है यदि दो राज्य आपस में सहमत हों तो शासकीय कामकाज की भाषा हिन्दी रख सकते हैं।

धारा 347 — किसी राज्य के विशेष समुदाय के लोग किसी विशेष भाषा जो उनके द्वारा बोली जाती है, की मांग करते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमित से उस भाषा को भी शासकीय कामकाजी भाषा बनाया जा सकता है।

1.8 ईकाई सारांश : स्मरण करने योग्य बातें

15 अगस्त 1947 – संविधान निर्मात्री सभा का गढन।

26 नवम्बर 1949 — संविधान का उद्देश्य स्पष्ट किया।

26 जनवरी 1950 – संविधान लागू किया गया।

भारतीय संविधान विशाल, एकात्मक है संविधान में व्यस्क मताधिकार व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष, कठोर व लचीला, स्त्रीयों को समान अधिकार, अनुसूचित व पिछड़ी जातियों का संरक्षण, छुआछूत का अंत, समान न्याय व्यवस्था आदि विशेषताओं से समाहित है। प्रस्तावना के लक्षण में ''हमारे संविधान की आत्मा में मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदयस्पन्दन है, उसकी अंतरात्मा न्याय और समात से अभिसिंचित है।''

भारतीय संविधान में शिक्षा

- धारा 14 कानुन में समानता
- धारा 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म एवं स्थान के अनुसार भेदभाव नहीं करेगा
- धारा 16 शासकीय सेवा प्राप्त करने में समान अवसर
- धारा 17 छुआछूत का खात्मा
- धारा 24 बाल मजदूरी पर रोक
- धारा 28 धार्मिक शिक्षा की बाध्यता नहीं
- धारा २९ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा
- धारा 30 अल्पसंख्यकों द्वारा विद्यालयों की स्थापना
- धारा ४५ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
- धारा 46 पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा
- धारा ३४३ हिन्दी संघ की राजभाषा

1.9 अपनी प्रगति की जांच कीजिए -

I वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- 1. भारतीय संविधान कैसा है?
 - क. लचीला ख. कठोर ग. दोनों घ. इनमें से कोई नहीं।
- 2. निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किस धारा में की है?
 - क. धारा ४५ ख. धारा ३० ग. धारा २९ घ. धारा २८

II लघु उत्तरीय प्रश्न

- 1. संविधान में पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है?
- 2. धारा 45 किससे सम्बंधित है?
- 3. धारा 24 किससे सम्बंधित है?
- 4. अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में संविधान में क्या स्थिति दी गई है?

III निबंधात्मक प्रश्न

- 1. भाषा की राजनीति को स्पष्ट कीजिए?
- 2. भारतीय संविधान में शिक्षा के विभिन्न पक्षों सम्बंधी धाराओं का उल्लेख कीजिए?
- 3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य लक्षण कौन-कौन से हैं?

1.10 संदर्भ सूची

- अग्रवाल, जे.सी. (२००९) उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा–2
- सक्सेना स्वरूप एन.आर. चतुर्वेदी शिखा (2004) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आर.लाल. बुक डिपो
- राय गांधीजी (1993) भारतीय शासन प्रणाली, भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रब्यूटर
- बसु दुर्गा दास, शर्मा ब्रजिकशोर (2011) भारत का संविधान एक परिचय,
 बटरवर्थ वाधवा, नागपुर
- मदान पूनम, गर्ग सुषमा, भारत में शिक्षा स्थिति, समस्याएँ एवं मुद्दे, अग्रवाल पब्लिकेशन्स